दिनांक 05.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 463/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 2110/-रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.09.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम होजखेडी चौराहा पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ नन्हा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 2110/-रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल रहीम उर्फ नन्हा निवासी मोहल्ला अफगानान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 2110/–रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04/05.09.2026 की रात्रि थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीबीनगर रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अरबाज उर्फ पहाड़ी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, मेरठ व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अरबाज उर्फ पहाड़ी निवासी मोहम्मदपुर रूस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद सोनभद्र (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 37 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस ने अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा थाना कोन जनपद सोनभद्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 37 लाख 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना कसया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सरफुद्दीन को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/302/354/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हर नारायन उर्फ हन्नू को आजीवन कारावास व 34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–प्रदीप कुमार 2–विनोद 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।